राजस्थान सरकार

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

**(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या – 65/2022 अपील**

| | | |
|---|---|---|
| 1. राकेश कुमार आर्य पुत्र रामप्रसाद आर्य निवासी हरिजन बस्ती बिजौलियाकलां तहसील बिजौलिया<br>2. रजनी आर्य पत्नि स्व० राजेश कुमार आर्य निवासी हरिजन बस्ती बिजौलियाकलां तहसील बिजौलिया भीलवाडा | बनाम | 1. रतनी देवी पत्नि स्व. शम्भू लाल हरिजन निवासी हरिजन बस्ती बिजौलियाकलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा<br>2. तहसीलदार, (भूअभिलेख) तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा<br>3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा |
| –अपीलार्थी | | –रेस्पोडेण्ट |

**अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश निरस्त नामान्तकरण संख्या 2957 दिनांक 20–09–2021 तहसीलदार, (भूअभिलेख) बिजौलियां अपील अन्तर्गत धारा 75 ले.रे.एक्ट**

उपस्थित –

1. श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री प्रवीण शर्मा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से दौराने बहस अनुपस्थित
3. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 06.04.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 ले.रे.एक्ट विरूद्व तहसीलदार बिजौलिया के नामान्तरकरण संख्या 2957 दिनांक 20.09.2021 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिजौलियाकलां तहसील बिजौलिया में स्थित आराजी नम्बर 91/5 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रतनी देवी के पति शंभू लाल पिता धन्ना लाल हरिजन के नाम दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति शंभू लाल के निधन के पश्चात उक्त आराजी 91/5 का 1/2 हिस्सा भू–अभिलेखों में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम पर खातांकित हो गया तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पूर्वजों के मध्य राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक रिट याचिका 9500/2009 एवं स्टे पिटीशन याचिका 13862/2009 में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के मध्य हुये राजीनामा की पालना में उक्त आराजी संख्या 91/5 के 1/2 हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दिनांक 30.07.2021 को जरिये पंजीकृत विकयपत्र के अपीलान्ट को विक्रय कर दिया।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 91/5 के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रतनी देवी पत्नि स्व. शम्भू लाल हरिजन निवासी हरिजन बस्ती बिजौलियाकलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा के बजाय अपीलान्टगण के नाम पर स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के मध्य राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक रिट याचिका 9500/2009 एवं स्टे पिटीशन याचिका 13862/2009 में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के मध्य हुये राजीनामा की पालना में प्रश्नगत आराजी संख्या 91/5 के 1/2 हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दिनांक 30.07.2021 को जरिये पंजीकृत विकयपत्र के अपीलान्ट को विक्रय कर दिया। स्टे याचिका क्रमांक 13862/2009 में पारित स्थगन आदेश को दिनांक 24.03.2021 की आदेशिका के जरिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य निष्पादित हुये राजीनामा के अनुसार कार्य करने की हद तक हटा दिया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने की दिनांक 20.09.2021 को उक्त आराजी संख्या 91/5 पर किसी प्रकार का कोई स्थगन प्रभावी नही था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की स्टे याचिका क्रमांक 13862/2009 में पारित स्थगन आदेश को दिनांक 24.03.2021 की आदेशिका एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के मध्य हुये विक्रय विलेखों का गंभीरतापूवर्क परीक्षण किये बिना ही प्रश्नगत आराजी का नामान्तरकरण संख्या 2957 दिनांक 20.09.2021 को पारित किया गया जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

साथ ही मान. राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल रिट पीटीशन संख्या 9500/2009 के आदेश दिनांक 16.11.2021 से पीटीशन भी राजीनामा आधार पर निर्णित हो गयी हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की स्टे याचिका क्रमांक 13862/2009 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.03.2021 की आदेशिका व निर्णय दिनांक 24.03.2021 एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के मध्य हुये विक्रय विलेखों का पूर्ण परीक्षण कर, प्रश्नगत आराजी का हिस्सा केताग्रण के नाम राजस्व रिकार्ड में

अति. जिला कलक्टर

नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही करें। उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के नामान्तरकरण संख्या 2957 दिनांकित 20.09.2021 को अपास्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की स्टे याचिका क्रमांक 13862/2009 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.03.2021 की आदेशिका व निर्णय दिनांक 24.03.2021 तथा मान. राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल रिट पीटीशन संख्या 9500/2009 के आदेश दिनांक 16.11.2021 एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के मध्य हुये विक्रय विलेखों का पूर्ण परीक्षण कर, प्रश्नगत आराजी का हिस्सा केताग्रण के नाम राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)